प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 जून, 2025

विषयः- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मदन पाल पुत्र श्री महेश प्रसाद, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4375/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.01.2025), दिनांक 31.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मदन पाल पुत्र श्री महेश प्रसाद, ग्राम-हरख, थाना-जैदपुर, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। प्रथम केस में दिनांक 23.08.1980 को अपने 02 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से वार करके सुरेश चन्द नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 235/1982 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03, बाराबंकी के आदेश दिनांक 30.01.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। प्रथम केस में बंदी द्वारा दिनांक 07.01.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सजा एवं द्वितीय केस में दिनांक 02.04.2003 को अपने 02 अभियुक्तों के साथ मिलकर करौली, चाकू व तमंचा से गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-581/2003 में भा०द०वि० की धारा-302/34 व 3 (1) यूपी०जी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-01, मैनपुरी के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय केस में बंदी दिनांक 07.01.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 16 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस में दिनांक 23.08.1980 को अपने 02 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से वार करके सुरेश चन्द नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा द्वितीय केस में दिनांक 02.04.2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर करौली, चाकू व तमंचा से गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बंदी को 02 वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। बंदी को दो वादों में आजीवन कारावास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मदन पाल पुत्र श्री महेश प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मदन पाल (बंदी संख्या-509/2008) पुत्र श्री महेश प्रसाद, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-655/2025/612(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-655/2025/612/22-2-2025-17(432)/2025

दिनांक 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मदन पाल पुत्र श्री महेश प्रसाद, ग्राम-हरख, थाना-जैदपुर, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। प्रथम केस में दिनांक 23.08.1980 को अपने 02 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से वार करके सुरेश चन्द नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 235/1982 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03, बाराबंकी के आदेश दिनांक 30.01.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। प्रथम केस में बंदी द्वारा दिनांक 07.01.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सजा एवं द्वितीय केस में दिनांक 02.04.2003 को अपने 02 अभियुक्तों के साथ मिलकर करौली, चाकू व तमंचा से गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-581/2003 में भा०द०वि० की धारा-302/34 व 3 (1) यूपी०जी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-01, मैनपुरी के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय केस में बंदी दिनांक 07.01.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 16 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस में दिनांक 23.08.1980 को अपने 02 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से वार करके सुरेश चन्द नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा द्वितीय केस में दिनांक 02.04.2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर करौली, चाकू व तमंचा से गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बंदी को 02 वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। बंदी को दो वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मदन पाल पुत्र श्री महेश प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in